

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:- 2 / 2025




तारीखरजू:- 4/6/25

2025/134

उनवान:- रामी देवी बनाम रघुनाथ

खिरखिडी

इजराय डिकी पालना

दिनांक	फर्द अहकाम	
4/6/25	<p>डिकीदार की और से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने मु0न0 87/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 की पालना मे इजराय पेश की। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर निर्णय की प्रति तहरीर के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक:-03.07.2025 से पूर्व पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (पूजा मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>	25/9/25
3/7/25	<p>वादी वकील/सकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी..... पत्रावली गतानुसार दिनांक..... को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
3/7/25	<p>पत्रावली काज लवष की गई। मुलापक पालना के लिए तहरीर टोडाभीम के वकील के पास ले अपनी सहकारि जाहिर की काय कोर की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली के अलावा मुलापक के कस कल डी.के.ए. डी.के.ए. के</p> <p style="text-align: right;">  </p>	